

संख्या:2-13/2021 ई.एक्स.एन.एच.स्थापना- 12569-587
राज्य कर एवं आबकारी विभाग
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक:

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित:

1. अति०/संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
(द०क्ष०)(उ०क्ष०)(म०क्ष०) शिमला/पालमपुर व मण्डी।
2. संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी,
(उ०द०)(द०क्ष०)(उ०क्ष०)(म०क्ष०) परवाणू/पालमपुर व उना।
3. उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला
शिमला/सोलन/बी०बी०एन०बददी/सिरमौर/बिलासपुर/हमीरपुर/नूरपुर/
कांगडा/चम्बा/कुल्लू/मण्डी व उना।
4. सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, जिला किनौर, स्थित पियो।

दिनांक: शिमला-9

30-04-2022

विषय: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 % कोटे के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाती है जिस हेतु विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नवीनतम वरिष्ठता सूची बनाई जानी है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके अधीन कार्यरत सभी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देकर 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त दसवीं व बाहरवीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उक्त दोनों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सत्यापित कर व विभाग में नियमित तौर पर प्रथम उपस्थिति की तिथि का प्रमाण पत्र भी वरिष्ठता सूची के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि मुख्यालय स्तर पर संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जा सकें। वरिष्ठता सूची को सभी नियमों के अनुसार ही जारी करें अन्यथा नियमों के विपरित जारी करने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,




(सुनील शर्मा) हि०प्र०से०
अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा०/मु०),
हिमाचल प्रदेश।


दूरभाष-न० -2621635

30-04-2022

पृष्ठांकन संख्या: 2-13/2021 ईएक्स०एन०एच०स्थापना- 12588

प्रतिलिपि आई०टी० शाखा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस पत्र को शीघ्र विभागीय साइट पर अपलोड किया जाए तथा सभी सम्बन्धित कार्यालयों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाए।


DAC (T)



(सुनील शर्मा) हि०प्र०से०
अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, (प्रशा०/मु०),
हिमाचल प्रदेश।

दूरभाष-न० -2621635